





24. निविदाकार को कार्य के दौरान निर्मित मर्दों में क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत करना होगा।
25. निविदादाता को कार्य के लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अनुमोदित दर के अलावे किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
26. निविदाकार को अपना दर शब्दों तथा अंकों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में शब्द में उद्धृत दर को अंतिम माना जाएगा।
27. किसी भी निविदाकार का दर यदि वास्तविकता से अधिक प्रतीत हुआ तो निविदा प्रकाशन करने वाले सक्षम प्राधिकार को यह अधिकार होगा कि निविदाकार से दर विश्लेषण की माँग करेंगे। यदि दर विश्लेषण संतोषजनक नहीं हुआ तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निविदाकार को असफल तथा अग्रधन की राशि जब्त की जाएगी।
28. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
29. निविदा वैधता की अवधि 120 दिन मान्य होगी। वैधता की अवधि में निविदा वापस नहीं ली जाएगी।
30. निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि निविदा जमा करने से पूर्व साईट की अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे। बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
31. निविदाकार को सभी निविदा कागजात तथा अग्रधन की राशि, निबंधन, पैन कार्ड, जी०एस०टी० इत्यादि जो निविदा की योग्यता को पूर्ण करते हैं को Scan कर अपलोड करना होगा।
32. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने की तिथि मानी जाएगी।
33. ऐसे निविदादाता जिनका अपराधिक रिकार्ड/Litigation History है, निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। निविदादाताओं को नॉनज्यूडिसियल स्टॉम्प पर इस आशय को शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है, Litigation History नहीं है, किसी भी कार्य को उनके द्वारा अधूरा नहीं छोड़ा गया है।
34. लेबर सेस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार से की जाएगी।
35. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो इस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
36. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो इस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
37. यदि बिहार से बाहर के निविदाकार का चयन किया जाता है तो निविदाकार को एक क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में रखना होगा जिससे कि कार्यों का अनुश्रवण समय-समय पर किया जा सके।
38. भाग लेने वाले सभी संवेदक CA द्वारा Certified/Audited/Attested किए जाने वाले सभी Documents यथा Audited Balancesheet/Turnover Certificate/अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नम्बर अंकित कराने के उपरान्त ही निविदादाता इसे निविदा के साथ संलग्न करेंगे अथवा e-proc पर Upload करेंगे।
39. UDIN नम्बर अंकित नहीं रहने पर Documents को वैध नहीं माना जाएगा तथा तकनीकी मुल्यांकन के समय ऐसे Documents वाले निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।

होल-

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक- 627 दिनांक- 19.05.2026

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

19.5.26  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, बेतिया।